न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी, मनसुख राम डामोर, आर0ए0एस0)

प्रकरण सख्या 80/2018 वाद
दायर दिनांक 10/07/2018
निर्णय दिनांक 25/03/2021

अनवान

1. भगवानी पत्नि मांगीलाल जाति ढोली निवासी सुनारियाखेडा तहसील रेलमगरा
2. परस पिता मांगीलाल पत्नि लक्ष्मण जाति ढोली निवासी सुनारियाखेडा तहसील रेलमगरा
3. केसर पत्नि मीठूलाल पुत्री मांगीलाल जाति ढोली निवासी मेहन्दरिया तहसील रेलमगरा
4. कंचन पत्नि किशनलाल पुत्री मांगीलाल जाति ढोली निवासी दरीबा तहसील रेलमगरा

—वादीगण

बनाम

1. सुन्दर बाई पत्नि कालू जाति गाडरी निवासी सुनारियाखेडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द हाल निवासी कानाखेडा तहसील भुपालसागर जिला चित्तोडगढ़
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय रेलमगरा जिला राजसमन्द

— प्रतिवादीगण

वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

वादी की ओर से जरिये अधिवक्ता वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 आर. टी.ए. के तहत प्रस्तुत किया कि ग्राम सुनारिया खेडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द में प्रतिवादी संख्या 01 के नाम पर राजस्व रेकार्ड में आराजी संख्या 55 रकबा 0.13 विस्वा भूमियां खातेदार के रूप मे अंकित है। वादपत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित भूमियां प्रतिवादी संख्या 01 के पति कालूराम पिता सवाईराम गाडरी एवं नाथू पिता भजा गाडरी गोत्र केरिया निवासी सुनारियाखेडा तहसील रेलमगरा ने वादीगण के पिता मांगु पिता नाथूराम जाति ढोली को दिनांक 06.06.1979 को 200 रूपये में ज़रिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया गया । वादपत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित भूमियों में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिसे वादीगण के पिता ने अपने नाम पर राजस्व रेकार्ड में अंकन कराने बाबत् तत्कालीन पटवारी हल्का को विक्रय पत्र की कॉपी दी गई तथा पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण संख्या 98 में वादीगण के पिता मांगू के नाम पर हिस्सा भरकर ग्राम पंचायत में स्वीकृति हेतु पेश

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

किया गया जिसे ग्राम पंचायत काबरा ने दिनांक 30.10.1980 को विक्रय की जांच की गई तथा जांच के अनुसार आराजी संख्या 55 पर विक्रेतागण का कब्जा होना पाया गया तथा उसमें गंगा,अमरा,दीपा,लेहरू,मोहन का हिस्सा नही माना फिर भी सहमति स्वरूप उपस्थित होकर उक्त आराजी को बिकाव से केता मांगू पिता नानू के नाम पुरी आराजी दर्ज करने की स्वीकृति दी गई तथा सहमति स्वरूप नामान्तरकरण अपने हस्ताक्षर /निशानी की गई इसके उपरान्त भी राजस्व कर्मचारियों ने जमाबंदी में वादीगण के पिता मांगु का नाम खातेदार के रूप में तरमीम नही किया गया। वादपत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित भूमियों में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये विक्रय होने के पश्चात् एवं ग्राम पंचायत काबरा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 98 फेसल करने के पश्चात् भी राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादीगण के पिता मांगू के नाम उक्त भूमियां राजस्व रेकार्ड में अंकित नही की जिससे उक्त भूमियां विक्रेता कालू की पत्नि प्रतिवादी संख्या 01 के नाम पर गलत रूप से अंकित चली आ रही है जबकि वर्तमान् आराजी संख्या 55 पर वादीगण का ही कब्जा निरन्तर चला आ रहा है जिससे अब वादीगण वादपत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित भूमियों की खातेदारी अधिकारो की घोषणा कराने की अधिकारिणी है। वादपत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित भूमियों को वादीगण के पिता मांगू पिता नानू ढाली ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को क्रय की गई वादीगण के पिता मांगू पिता नानू ढोली की मृत्यु दिनांक 08.09.2014 को हो चुकी है एवं जिससे वादीगण को उक्त भूमियों का खातेदारी अधिकारी घोषित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। वादीगण के पिता मांगू की मृत्यु के पश्चात् वादीगण अपने पिता के स्थान पर राजस्व रेकार्ड में अपना नाम अंकित करवाते हेतु दिनांक 06.06.2018 को जमाबंदी की नकल निकलवाई तब वादीगण को जानकारी हुई कि उक्त भूमियां प्रतिवादी संख्या 01 के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है वादीगण पंजीकृत विक्रय पत्र लेकर प्रतिवादी संख्या 02 के पास गई किन्तु प्रतिवादी संख्या 02 ने यह कहते हुऐ इन्कार कर दिया कि विक्रय पत्र के दोनो ही पक्षकारो की मृत्यु हो चुकी है तथा इतना लम्बा समय व्यतित हो जाने से अब न्यायालय में वाद के जरिये अपना नाम अंकित करवा सकते है। वादीगण के वाद का वाद हेतुक दिनांक 06.06.2018 को तब उत्पन्न हुआ जब वादीगण अपनी भूमियों की जमाबंदी की नकल प्राप्त की तब जानकारी में आया कि उक्त भूमियां प्रतिवादी संख्या 01 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज ज़िससे उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। वादगस्त भूमियां ग्राम सुनारिया खेडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द में स्थित होने से एवं वाद कृषि भूमियों से संबंधित होने से वाद की सुनवाई का श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार न्यायालय आपको है।

अतः प्रार्थना है कि वादीगण के पक्ष में इस आशय की घोषणात्मक डिक्री प्रदान की जावे कि ग्राम सुनारियाखेडा की आराजी संख्या 55 रकबा 0.13 विस्वा का वादीगण को

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

खातेदार घोषित फरमाया जावें। वादीगण वादग्रस्त आराजी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा हस्तक्षेप कारित नही करे इस बाबत् प्रतिवादी संख्या 01 को प्रतिबंधित फरमाया जावें। वाद व्यय वकील मेहनताना वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 से दिलाया जावें। अन्य समूचित सहायता जो वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी हो प्रदान कराई जावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी बावजूद तामिल के अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रतिवादी संख्या 02 पैरोकार सरकार जवाब पेश नहीं करना चाहा। वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में गवाह पीडब्ल्यू 01 भगवानी का शपथ पत्र प्रस्तुत किया एवं जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 01, मांगीलाल का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 02, विक्रय पत्र की फोटो प्रति प्रदर्श 03 ए व नामान्तरकरण संख्या 98 की प्रति प्रदर्श 04 के प्रस्तुत की गयी। अधिवक्ता वादीगण की एकतरफा बहस सुनी गयी। पत्रावली एवं उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वादीया अपने वाद को सिद्व करने में सफल रही है।

अतः वादीया का वाद बाबत् घोषणा का स्वीकार किया जाकर ग्राम सुनारिया खेड़ा के आराजी संख्या 55 में वादीयागण को विक्रय पत्र अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। एवं प्रतिवादी संख्या 01 का नाम विलोपित किया जावें। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 25/03/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनसुखराम डामोर)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा